प्रथम सूचना रिपोर्ट
दं0प्र0सं0 की धारा 154 के अन्तर्गत

1. जिला पंचकूला थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला वर्ष 2013 प्र0सु0रि0स0 04
   दिनांक 10.09.2013

2. धारा 7, पी0सी0 एक्ट 1988

3. (क) अपराध की घटना : 10.09.2013
   (ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : दिनांक 10.09.2013 समय 11:50 ए0एम0.
   (ग) रोजनामचा रिपोर्ट क्रम संख्या : 5

4. सूचना का प्रकार : लिखित

5. घटनास्थलः (क) थाने से दिशा एंव दूरी करीब 4 कि0मी0 पूर्व पंचकूला

6. शिकायतकर्ता / सूचनादाता
   नाम रामकरण
   पिता का नाम श्री झण्डूराम
   राष्ट्रीयता भारतीय
   व्यवसाय रिटायर्ड कर्मचारी
   पता निवासी म0न0 7 ए अशोक नगर अम्बाला कैंट।

7. ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण
   लाभ सिंह लेखाकार हैफेड विभाग हरियाणा मुख्यालय सैक्टर 5 पंचकूला

   लिंग पुरूष
   भाषा हिन्दी

8. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण कोई नहीं

प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण :– सेवा मे श्रीमान एस.एच.ओ. साहब जी, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला, श्री मान जी, निवेदन है, कि मै रामकरण सेवानिवृत उप महाप्रबन्धक हैफेड सिरसा S/O श्री झण्डू राम निवासी म0न0 7 ए अशोक नगर अम्बाला कैंट का स्थायी निवासी हूँ और हैफेड विभाग हरियाणा जिला

सिरसा से दिनांक 31.12.12 को सेवानिवृत हो चूका हूँ और मेरे विभाग से सेवानिवृति उपरान्त मिलने वाले सेवानिवृति लाभ (Retirement Dues) मुझे लगभग आठ माह बीतने के बाद भी अभी तक प्राप्त नहीं हुए। जब मैं इस सम्बन्ध में विभाग के मुख्यालय सैक्टर 5 पंचकूला में लेखा शाखा के लेखाकार श्री लाभ सिंह से मिला तो उन्होने कहा कि यदि आपने अपने रिटायर्ड Dues जल्द प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे बतौर रिश्वत 4000/– रूप्ये देने होंगे नही ंतो तुम्हारा केस ऐसे ही लम्बित पडा रहेगा और तुम्हारी Dues की राशि तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। मैं इस कर्मचारी को यह रिश्वत की राशि नहीं देना चाहता हूँ और यदि नहीं दूंगा तो यह मुझे Dues की मिलने वाली राशि को देने में देरी करता रहेगा। मैं इसे रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ कृप्या कानूनी कार्यवाही की जावे। Sd/- अंग्रेजी रामकरण सपुत्र श्री झण्डू राम मकान न0 7 ए अशोक नगर अम्बाला कैंट 09416188042 दिनांक 10.09.2013। कार्यवाही पुलिस आज मन निरीक्षक मय मुलाजमान एस.आई पूर्ण सिंह, एस.आई कुलदीप सिंह न0 797 पंचकूला, एस.आई रमेशचन्द्र न0 446/एस.पी.टी, ई.एच.सी राजकुमार 360/अम्बाला, सि0 राजेन्द्र सिंह न0 1126 हिसार, सि0 रविन्द्र कुमार न0 1937/गुड़गांव, सि0 जसबीर सिंह न0 518/कुरूक्षेत्र बा सवारी गाड़ी सरकार एच.आइ 03 एल–6883 चालक एच.सी. श्यामलाल 289/पंचकूला बराए विजिलैंस वर्क सै0 6 पंचकूला हाजिर था कि अचानक एक व्यक्ति जिसका नाम रामकरण पुत्र श्री झण्डूराम उपरोक्त ने मुलाकि होकर मुख्यालय रा0चौ0ब्यूरो हरियाणा पंचकूला के गेट पर एक लिखित दरखास्त मार्कशुदा डी0आई0जी0 साहब मुझे पेश की जो दरखास्त उपरोक्त की तसदीक पर सरेदस्त जुर्म 7 पी0सी0एक्ट 1988 का सरजद होना पाया जाता है रेडिंग पार्टी तैयार की गई दरखास्त उपरोक्त पर अभियोग अकिंत करवाने के लिए सिपाही जसबीर सिंह 518/कुरूक्षेत्र को थाना रा0 चौ0 ब्यूरो सै0 17 पंचकूला भेजा जा रहा है मुकदमा दर्ज करने उपरान्त न0 मुकदमा से सूचित किया जाये मन निरीक्षक मय मुलाजमान मय मुदई व तफतीशी बैग हमराह लेकर बासवारी गाडी बराए लेने रेड अनुमति व नियुक्ति डयूटी मैजिस्ट्रेट कार्यालय उपायुक्त महोदय पंचकूला का रवाना होता हूँ Sd/- राजपाल निरीक्षक थाना रा0चौ0ब्यूरो सै0–17, पंचकूला दिनांक 10.09.13 At:11:50 AM अज थाना उपरोक्त लेख पर अभियोग अकिंत करके नकुलात एफ0आई0आर0 उच्च अधिकारियों व स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट की सेवा में बादस्त सि0 जसबीर सिंह 518 के.के.आर भेजी जा रही है असल तहरीर मय नकल मिसल पुलिस आईन्दा सिपाही भेजी जा रही है।

बादस्त सि0 जसबीर सिंह 518 के.के.आर

हस्ता/–
ए.एस.आई रामनिवास